(वाद सं0.-3689/4/26/2021)

12.10.2022
17.10.2022

प्रसंगाधीन मामला, विपिन कुमार, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य प्रशिक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित परिवादी, रामप्रवेश राय, के परिवाद से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, नालन्दा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, नालन्दा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा** के प्रतिवेदनानुसार **" श्री विपिन कुमार, सेवानिवृत स्वास्थ्य प्रशिक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत हुए है। सेवानिवृति उपरांत सेवांत लाभ भुगतान हेतु विपत्र CFMS में प्रविष्टि की गई तो ज्ञात हुआ कि उनका CFMS में जन्मतिथि गलत अंकित है।**

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के पत्रांक 222 दिनांक 07.06.2022 के द्वारा जन्मतिथि सुधार हेतु कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा से पत्राचार किया गया। वर्तमान में जन्म तिथि का सुधार करते हुए सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले सेवांत लाभ यथा– औपबंधित उपदान, अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद समतुल्य राशि, सामान्य भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। "

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, नालन्दा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, नालन्दा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक